आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर

दिनांक : 14.04.2024 समय : 0705

<><><><><><><>

- द्वीपों के निर्वाचन अधिकारी अर्जुन शर्मा ने कहा कि उन्नीस अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए ई वी एम सहित चुनाव सामग्रियां भेजने का कार्य आरंभ हो चुका है।
- भारतीय चुनाव आयोग की ओर से उन्नीस अप्रैल की सुबह सात बजे से लेकर एक जून संध्या साढ़े छः बजे तक एक्ज़िट पोल पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में उन्नीस अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए पुलिस विभाग भी पूरी तरह तैयार है।
- सविधान निर्माता डॉ. बी.आर अम्बेडकर की एक सौ तैंतीसवीं जयंती के अवसर पर आज डॉ. बी आर अम्बेडकर प्रतिमा स्थल पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
- उन्हत्तरवां अग्निशमन सेवा दिवस के अवसर पर उप–राज्यपाल एडमिरल डी के जोशी ने अपने संदेश में कहा कि आज बहादुर अग्निशमन सेनानियों के साहसी और निस्वार्थ समर्पण को याद करने का महत्वपूर्ण अवसर है।

<><><><><><><>

द्वीपों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बी एस जगलान ने कल राज्य चुनाव प्रबंधन योजना जारी किया। दक्षिण अंडमान ज़िला उपायुक्त के सम्मेलन कक्ष में प्रबंधन योजना जारी करते हुए उन्होंने कहा कि इस पुस्तक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सारी जानकारियां उपलब्ध हैं।

इस बीच, द्वीपों के निर्वाचन अधिकारी अर्जुन शर्मा ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में कहा कि उन्नीस अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए ई वी एम सहित चुनाव सामग्रियां भेजने का कार्य आरंभ हो चुका है। ननकौड़ी और कैम्पबेल बे में चुनाव सामग्रियां पहुंचाई गई है। अन्य द्वीपों के लिए भी व्यवस्था की गई है।

<><><><><><><>

भारतीय चुनाव आयोग की ओर से उन्नीस अप्रैल की सुबह सात बजे से लेकर एक जून संध्या साढ़े छः बजे तक एक्ज़िट पोल पर प्रतिबंध लगाया गया है। आयोग की ओर से जारी

अधिसूचना में कहा गया है कि इस दौरान एक्ज़िट पोल के बारे में किसी भी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसका प्रसारण या प्रचार नहीं होना चाहिए। अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के सभी मतदाताओं से इस संबंध में सतर्क रहने को कहा गया है।

इस बीच, उन्नीस अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए द्वीपसमूह में सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की गई है।

<><><><><><><>

अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में उन्नीस अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए पुलिस विभाग भी पूरी तरह तैयार है। उप–पुलिस महानिरीक्षक मोनिका भारद्वाज ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए करीब तीन हजार पुलिस कर्मियों की सेवाएं ली जाएंगी।

बाईट–डीआईजीपी–20 से0

<><><><><><><>

मध्योत्तर अंडमान के जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलखुश मीणा ने सहायक निर्वाचन अधिकरी, सेक्टर अधिकारियों और रंगत तहसील के चुनाव पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में आगामी आम लोकसभा के चुनाव के लिए तैयारियों का आकलन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव के सुचारू संचालन के लिए चुनाव तैयारियों और समग्र व्यवस्था जैसे प्रमुख विषयों पर जानकारी दी। प्रशासन ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने और निष्पक्ष चुनावी प्रकिया को सुविधाजनक बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। बैठक के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने सहायक आयुक्त, सहायक पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार, पुलिस कर्मियों के साथ फ्लैग मार्च का नेतृत्व करते हुए, चुनाव के दौरान नागरिको को आश्वस्थ करने और कानून व्यवस्था को मजबूत करने एवं जिले में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव के सफल संचालन के लिए नागरिको की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सहायक आयुक्त कार्यालय से रंगत बाजार तक फ्लैग मार्च किया गया।

<><><><><><><>

उन्नीस अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए भारतीय चुनाव आयोग की ओर से वाहनों की आवाजाही और मतदान केन्द्र तथा उम्मीदवारों के चुनावी बूथ के नजदीक चुनावी

प्रचार–प्रसार पर प्रतिबंध लगाया गया है। मतदान के दिन उम्मीदवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र में खुद के इस्तेमाल के लिए एक वाहन की अनुमति प्रदान की गई है। चुनावी एजेंट के लिए एक वाहन के इस्तेमाल को अनुमति दी गई है। मतदान के दिन संबंधित वाहनों को मिली अनुमति को वाहनों के विंड स्क्रीन पर प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा। अवैध रूप से मतदाताओं की सुविधा के लिए वाहनों का उपयोग पूरी तरह से वर्जित है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ड्राइवर सहित एक वाहन में पांच लोगों से अधिक को बैठाने की अनुमति नहीं है। निजी वाहन मालिक जो खुद या अपने परिवार के साथ मतदान के लिए जाते हैं तो उन्हें मतदान केन्द्र के दो सौ मीटर तक की परिधि तक ही वाहन ले जाने की अनुमति होगी। मतदान केन्द्र के सौ मीटर की परिधि में मतदान के लिए प्रचार या मतदाताओं को मतदान करने से रोकने या चुनाव से जुड़े किसी भी तरह के प्रचार–प्रसार पर भी प्रतिबंध रहेगा। उम्मीदवारों को अपने चुनावी बूथ मतदान केन्द्र से दो सौ मीटर की दूरी पर स्थापित करना होगा और एक टेबल तथा दो कुर्सी का इस्तेमाल किया जा सकता है। द्वीपसमूह में उन्नीस अप्रैल को सुबह सात बजे से लेकर शाम छः बजे तक मतदान होगा।

<><><><><><><>

संविधान निर्माता डॉ. बी.आर अम्बेडकर की एक सौ तैंतीसवीं जयंती के अवसर पर आज नगरपालिका परिषद परिसर स्थित डॉ. बी आर अम्बेडकर प्रतिमा स्थल पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उप–राज्यपाल एडमिरल डी के जोशी आज सुबह साढ़े नौ बजे संविधान निर्माता को अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। सभी से इस कार्यक्रम में शामिल होने और सुबह नौ बजकर पन्द्रह मिनट तक सीटग्रहण करने को कहा गया है। चुनाव आचार संहिता से जुड़े सभी नियमों का प्रतिभागियों को कड़ाई से पालन करना होगा।

इस बीच, आज अम्बेडकर जयंती को देखते हुए उप–राज्यपाल ने अवकाश की घोषणा की है।

<><><><><><><>

आज उन्हत्तरवां अग्निशमन सेवा दिवस के अवसर पर द्वीपों के उप–राज्यपाल एडमिरल डी के जोशी ने अपने संदेश में कहा कि यह दिन बहुमूल्य जीवन और संपतियों की रक्षा के लिए देश के बहादुर अग्निशमन सेनानियों के साहसी और निस्वार्थ समर्पण को याद करने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का थीम ‘‘अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करे, राष्ट्र

निर्माण में योगदान करे'' न केवल अग्नि सुरक्षा उपाय करने बल्कि समुदाय के बीच इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हमपर आपार जिम्मेदारी को रेखांकित करती है। उप—राज्यपाल ने कहा कि अंडमान निकोबार फायर एंड एमर्जेन्सी सर्विस द्वारा अग्नि सुरक्षा शिक्षा को बढ़वा देना, फायर मित्र योजना शुरू करना और द्वीपों के विभिन्न संस्थानों स्कूलो, अस्पतालों, होटेल, सिनेमा हॉल जैसे असंख्या संस्थानों में मॉक ड्रिल आयोजित कर जागरूकता उत्पन्न करने के प्रयास उल्लेखनीय है। उन्होंने द्वीपों के लोगों और सम्पतियों की रक्षा करने के महान मिशन में सेनानियों की प्रतिबद्धता के लिए सराहना करते हुए इन समर्पित अग्निशमकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए सभी से हाथ मिलाने का आग्रह कर द्वीपवासियों की हितों के लिए निरंतर सफलता की कामना की।

<><><><><><><>